



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1506 वर्ष 2026

ओम प्रकाश
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.... उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	पुनीत कुमार वर्मा
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री रामेंद्र कुमार शुक्ला (एओआर संख्या ए/आर 1038/22) की ओर से श्री पुनीत कुमार वर्मा, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान स्थायी वकील श्री गौरव सिंह की ओर से दलीलें सुनी गईं।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को वर्ष 1986 में स्वीपर के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हुआ, फिर भी उससे 364654 रुपये की राशि वसूल की गई है।
3. आज विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह द्वारा निर्देश भेजे गए हैं, जिसके अनुसार 04.08.2025 को वेतन निर्धारण का आदेश पारित किया गया है। उनके अनुसार, उक्त आदेश को चुनौती देना याचिकाकर्ता का अधिकार है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त आदेश को चुनौती देने के लिए नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है।
5. निर्देशों की एक प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दी जाए।
6. उपर्युक्त छूट के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।
7. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

4 फरवरी, 2026

एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"